



दिनांक: 27-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस ने रात्रि में डकैती करने वाली गैंग का किया खुलासा बदमाशो से हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 25 हजार का इनामी बदमाश घायल/गिरफ्तार

- लूट की एक मोटरसाइकिल बरामद
- 01 तमंचा 315 बोर बरामद
- 03 जिन्दा कारतूस बरामद
- 01 खोखा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि विगत एक माह में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली व सहारनपुर में घर में घुसकर लूट की घटना कारित करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के सरगना कुर्बान निवासी हिन्ड (शामली) को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली बदमाश कुर्बान पहले से सहारनपुर के कई थानो से वांछित चल रहा था जिस पर 25 हजार का ईनाम भी घोषित था।

आज दिनांक 27.05.2023 को सुबह के समय नानौता से सहारनपुर जाने वाले रास्ते पर खुड़ाना मोड पर थाना नानौता पुलिस संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग कर रही थी, तो काले रंग की बिना नंबर प्लेट की एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल रामपुर मनिहारन की तरफ से आ रही थी जिस पर 02 युवक सवार थे। चेकिंग के लिए रोका गया तो दोनो युवक भागने लगे, पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल आम के बाग के पास फिसलकर गिर गयी, अपने को घिरता देख दोनो युवको ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश कुर्बान पुत्र इंतजार नि0 हिन्ड थाना थानाभवन जनपद शामली को गोली लग गयी जिससे वह घायल हो गया तथा इसका अन्य साथी जंगल में भाग गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूट की एक मोटरसाइकिल (थाना नानौता से संबंधित), 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। जिसके संबंध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 94/23 धारा 307/34 भादवि0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

पूछतछ पर बदमाश कुर्बान पुत्र इंतजार निवासी हिन्ड थाना थानाभवन जनपद शामली ने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू व तमंचो से लोगो को आतंकित कर घटना करते हैं। हमारा गैंग प्रदेश के विभिन्न जनपदो में रात्रि के समय घरों में घुसकर लोगो को चाकू व तमंचे का डर दिखाकर मारपटी कर डकैती डालते हैं तथा सडक पर रात्रि के समय एकान्त जगह देखकर लोगो से वाहन छीन लेते हैं व लूटपाट करते हैं। डकैती व लूटपाट से जो भी मिलता है उसे हम गैंग के सदस्य आपस में बांट लेते हैं। बदमाश कुर्बान उपरोक्त ने बताया कि मैंने अपने साथियो के साथ मिलकर थाना नानौता क्षेत्र के नहर पुल ग्राम औलरा के पास से एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल व 700 रुपये लूटे थे तथा जनपद मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव अलीयारपुर में अपने साथियो के साथ मिलकर एक घर में डकैती डाली थी तथा थाना देवबन्द क्षेत्र

के ग्राम डेहरा में अपने साथियों के साथ मिलकर दो घरों में डकैती डाली थी तथा जनपद मेरठ के थाना मुडाली क्षेत्र के गांव नगलामल में अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में डकैती डाली थी व जनपद शामली के थाना थानाभवन क्षेत्र के गांव नौजली में अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती डाली थी तथा उसी रात गांव जन्धेडी थाना गढीपुरखता में भी एक रहागीर से मोटरसाइकिल लूटी थी। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव भन्वाडा में अपने साथियों के साथ मिलकर रात्रि के समय एक घर में डकैती डाली थी। इसके अलावा दिनांक 24.05.23 की रात्रि में सहारनपुर के थाना बडगांव क्षेत्रांतर्गत गांव नूनाबडी में अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में डकैती के लिए घुसे थे लेकिन गांव वालों ने हमें घेर लिया था। हम लोग फायरिंग करते हुए भाग गये थे। हमारा एक साथी आरिफ मौके पर पकड़ा गया था।

गिरफ्तार अभि० का नाम व पता-

1. कुर्बान पुत्र इंतजार निवासी हिन्द थाना थानाभवन जनपद शामली

अभियुक्त कुर्बान का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 216/2005 धारा 392/120बी/411 भादवि० थाना चरथावल मुजफ्फरनगर
2. मु०अ०सं० 111/2011 धारा 3/4 गुण्डा अधि० थाना थानाभवन जनपद शामली
3. मु०अ०सं० 158/2011 धारा 3/4 गुण्डा अधि० थाना थानाभवन जनपद शामली
4. मु०अ०सं० 262/2003 धारा 392/411 भादवि० थाना थानाभवन जनपद शामली
5. मु०अ०सं० 287/2011 धारा 392/411 भादवि० थाना थानाभवन जनपद शामली
6. मु०अ०सं० 132/2011 धारा 379/411 भादवि० थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. मु०अ०सं० 81/2005 धारा 379/411 भादवि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
8. मु०अ०सं० 331/2011 धारा 395/412 भादवि० थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
9. मु०अ०सं० 694/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- लूट की एक मोटरसाइकिल (थाना नानौता से संबंधित)
- 01 तमंचा 315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस
- 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसैन सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० राजीव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. व०उ०नि० शीतल कुमार शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ०नि० सुनील कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है०का० सुमित कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. है०का० रवि कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
7. है०का० राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
8. का० गौरव त्यागी व का० नरदेव थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

- थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत लगभग 08 लाख) बरामद ।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 25000/- रुपये का ईनाम देने की घोषणा की गई ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 विकास सिंघल द्वारा मय फोर्स के दिनांक-26.05.2023 को अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र तसलीम निवासी मौ0 नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 2.साजिद पुत्र शौकत निवासी ग्राम खट्टा दौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को 250 ग्राम स्मैक, 01 छोटा इलाक्ट्रानिक कांटा व 01 सफेद रंग की स्कूटी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 11 CK 0038 के साथ अम्बाला रोड से पिलखनी जाने वाले रास्ते पर बने डाक बंगले के पास से समय करीब 19.50 बजे गिरफ्तार किया गया । तथा एक अन्य अभियुक्त साजिद पुत्र दिन्ना निवासी मौ0 चौधरीयान, थाना कोतवाली देहात जो मौके से फरार होने में सफल रहा जिसकी तलाश की जा रही है जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 0139/2023 धारा 8/21/29/60(3) NDPS ACT पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि वसीम कक्षा आठवी तक पढा लिखा है एवं साजिद कक्षा पांचवी तक पढा लिखा है, हम लोग स्मैक का कारोबार काफी लम्बे समय से कर रहे हैं। स्मैक जनपद बरेली से तैय्यब नाम के व्यक्ति से कम दाम में खरीदकर लाते हैं, तथा जनपद सहारनपुर में अधिक दाम में जगह जगह पर बेच देते हैं । हम दोनो कोई काम धंधा नहीं करते हैं । केवल स्मैक तस्करी ही करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- 1.वसीम पुत्र तसलीम निवासी मौ0 नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष
- 2.साजिद पुत्र शौकत निवासी ग्राम खट्टा दौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष

फरार अभियुक्त का विवरण

- 1.साजिद पुत्र दिन्ना निवासी मौ0 चौधरीयान थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

- 1.250 ग्राम स्मैक
- 2.एक सफेद रंग की स्कूटी सुजुकी रजि0 नं0 UP 11 CK 0038
- 3.एक छोटा इलाक्ट्रानिक काँटा

अपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम

- 1.मु0अ0सं0 – 0224/2020 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
- 2.मु0अ0सं0 - 0139/2022 धारा 8/21/29/60(3) NDPS ACT थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त साजिद

- 1.मु0अ0सं0 – 0139/2022 धारा 8/21/29/60(3) NDPS ACT थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 2.उ0नि0 श्री विकास सिंघल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 3.हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 4.हे0का0 951 सुधीर उज्जवल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 5.कां0 1997 विनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 27/05/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में व प्र०नि० मनोज कुमार चाहल के निकट प्रवेक्षण में उ०नि० राजकुमार नादर मय फोर्स द्वारा वांछित अभि०गण- 1.शहनबाज पुत्र नसीर नि० कौलकी राघड़ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2.शहजाद पुत्र मुख्तयार नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर, सम्बन्धित मु०अ०स० 166/23 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि० को साईधाम पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते:-

- 1.शहनबाज पुत्र नसीर नि० कौलकी राघड़ थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
- 2.शहजाद पुत्र मुख्तयार नि० घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- प्र०नि० श्री मनोज कुमार चाहल को० देहात सहारनपुर
- उ०नि० राजकुमार नादर को० देहात सहारनपुर
- है०का० 839 कपिल राणाको० देहात जिला सहारनपुर
- का० 199 रोहित को० देहात सहारनपुर



दिनांक: 27-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 220

ग्राम चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में नशा तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री सतेन्द्र राय के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.05.2023 को 01 अभियुक्त राशिद पुत्र स्व गालिब निवासी ग्राम दभेडा कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को ग्राम दभेडा कला के पास से 220 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बंध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 76/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि वह 5वीं तक पढा है एवं नशे का आदि है, हरियाणा राज्य से अवैध चरस लाकर बेचता है तथा स्वयं भी चरस का सेवन करता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त राशिद पुत्र स्व गालिब निवासी ग्राम दभेडा कला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

220 ग्राम चरस

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 राजेन्द्र गिरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

है0का0 866 विशाल कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर

का0 1921 विकास कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

का0 1924 प्रताप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर जिलाबदर/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 जनपद सहारनपुर से एसटी0 न0 136/21 मु0अ0स0 258/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ में एनबीडब्लू वारंटी एवं जिलाबदर चल रहे अभियुक्त **प्रवेज पुत्र बाजा निवासी ग्राम बिसलहेडा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 196/23 धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त प्रवेज उपरोक्त पूर्व में भी थाना नकुड़ से मु0अ0सं0 258/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0स0 02/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0स0 41/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, 484/20 धारा 63 आब0 अधिनियम, मु0अ0सं0 258/21 धारा 8/21 एनडीपीएस में जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त प्रवेज उपरोक्त ने गलती की माँफी मांगते हुए बताया कि साहब मैं कक्षा 05 तक पढ़ा लिखा हूँ मैं 06 माह के लिए जिला बदर कर दिया था। मैं अपने घर वालों से मिलने आया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

प्रवेज पुत्र बाजा निवासी ग्राम बिसलहेडा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभि0 को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. का0 2197 विपिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 27-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियुक्त को एक अदद चाकू के साथ कच्ची सडक पर ही नाजिम कालोनी के सामने थाना मण्डी जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0स0 167/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त अरमान उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया है कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ तथा लोगो को डराने व अपना रोब दिखाने के लिए अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरमान पुत्र इकराम निवासी नूर बस्ती निकट बडी इलाही मस्जिद थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चाकू बरामद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0- 185/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना को0नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 सुनील सिंह वर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 477 विनोद पँवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. कां0 2028 प्रवीण कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर